फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
श्रवणराम वगैरहा	बनाम	शाह अल्पेश झुमरराम वगैराह

मुकदमा नं. 45 / 2022

…ण : राजस्व प्रार्थना पत्र

…व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18/5/22	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर्डर 39 रूल 1 व 2 सीपीसी के तहत वकील श्री औमप्रकाश गोदारा ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है एवं मौजा उबासी के खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 3.8040 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 459/4 रकबा 5.0181 हैक्टैयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 5 के की पुश्तैनी सहकब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण पक्ष को होगी। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 5 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि मौजा उबासी के खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 3.8040 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 459/4 रकबा 5.0181 हैक्टैयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, दान, बक्सीस, आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे, तथा अप्रार्थीगण संख्य 6 व 7 उक्त खेतों के दस्तावेजो का पंजियन नहीं करने एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण को जबाब हेतु सम्मन सीपीसी आदेश 39(3) की पालना में रजिस्ट्रड ए डी से भिजवाये जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 7/7/2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	
23/8/2022	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद जरिये विड्रॉल एवं Not press खारिज हो चुका है। अतः वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र का औचित्य शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 RTAct का खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल	